दीपक सिंघची

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

3 अगस्त 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और डी.के. जैन, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 438-जमानत आवेदन पर विचार करते समय आदेश में यह दिखना चाहिए कि न्यायालय द्वारा उचित विवेक का प्रयोग किया गया है। यह प्रथम दृष्टया मामला है-लेकिन मामले की खूबियों का विस्तृत अन्वेषण ज़मानत ज़रूरी नहीं है.

एस.438-जमानत-निर्धारण कारक का अनुदान-बताया गया।

अपीलकर्ता-सूचनाकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने भाई डी की हत्या के बारे में रिपोर्ट की थी। आरोपी ने सीजेएम के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने समक्ष दायर जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इसके बाद जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया गया। हाईकोर्ट ने

जमानत दे दी। जमानत देते समय, आक्षेपित आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया कि जमानत क्यों दी गई।

अपील का निपटारा करते हुए तथा मामले को उच्च न्यायालय, में भेज दिया गया, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित किया: 1.उच्च न्यायालय का आदेश सरसरी तौर पर पढ़ने पर भी दिमाग का पूरी तरह से गैर-प्रयोग दिखाता है। हालाँकि, जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय अदालत को मामले की खूबियों के साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिए, फिर भी जमानत आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला है। लेकिन मामले की खूबियों का विस्तृत अन्वेषण आवश्यक नहीं है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है न कि किसी सामान्य मामले के रूप में।

[पैरा 9][791-ई,एफ]

उमर उस्मान चमड़िया बनाम अब्दुल और अन्य जेटी (2004) 2 एससी 176 और वी.डी.चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2005) 7 स्केल 68, पर भरोसा किया गया।

2. आदेश में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, खासकर जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालतों के लिए यह आवश्यक है कि वे जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा बी निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करें। वे हैं: आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति; गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका और आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

[पैरा 10] [791-एफ, जी, एच; 792-ए]

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, [2002] 3 एससीसी 598; पुरण वगैराह बनाम रामबिलास और अन्य वगैरह। [2001] 6 एससीसी 338; कल्याण चंद्र सरकार बनाम. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अन्य, जेटी (2004) 3 एससी 442; चमन लाल बनाम. यूपी राज्य और अन्य, जेटी (2004) 6 एससी 540; कमलजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [2005] 7 एससीसी 326; गजानंद अग्रवाल बनाम. उड़ीसा और अन्य राज्य, आपराधिक अपील संख्या। 543- 544 ऑफ़

2007 पर 12.4.2007 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया, पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1002/2007

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ, जयपुर के एस.बी. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या में 4381/2006 निर्णय एवं आदेश दिनांक 5.10.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से सुनील कुमार, जीतेन्द्र झा, श्रीप्रकाश सिंह, शेखर कुमार, ए.के.श्रीवास्तव और मनोज प्रसाद।

प्रतिवादी की ओर से सुशील कुमार, कुमार कार्तिकेय, अरुणेश्वर गुप्ता, एल.के.उपाध्याय, नीरज शेखर, एन हरिहरन राजेश कुमार और मोहन पांडे।

कोर्ट का फैसला डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. इस अपील में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें

प्रतिवादी नंबर 2 को जमानत दी गई है। (इसके बाद 'अभियुक्त' कहा जाएगा)।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

18.9.2002 को अपीलकर्ता ने कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके भाई की हत्या के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी और सह-आरोपी नासिक सिंह ने मृतक की हत्या के लिए दो संपर्क हत्यारों- रोहितास और धर्मेंद्र को काम पर रखा था।

आरोपी द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिन्होंने आदेश दिनांक 6.6.2006 द्वारा जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष दायर जमानत हेतु आवेदन दिनांक 12.7.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अन्य बातों के साथ-साथ इसे इस प्रकार नोट किया गया:

> "अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कानूनी प्रावधानों पर गौर किया। यह सही है कि घटना 4 साल पुरानी है और आरोपी की दो बार जांच की गई है और अंतिम रिपोर्ट दी गई है। मेरी राय में उसे संदिग्धों में से एक माना जाकर जांच भी की गई है। देर से एकत्र किए गए साक्ष्य मुख्य रूप से

अपराध में उसकी संलिप्तता दर्शाते हैं। दोनों पक्षों के बीच संपत्ति के व्यवसाय से संबंधित विवाद, उसी के कारण मृतक के प्रति गलत भावना रखना, सहलाना घटना के दिन अभियुक्त नसीब सिंह को मृतक की पत्नी व आरोपी जिसके द्वारा मृतक को गोली मारी गई की पहचान करना तथा गिरफ्तारी के पश्चात टी आई पी के दौरान आरोपी की पहचान घटना स्थल पर मिली गोलियां जो सह अभियुक्त की पिस्टल की थी, सह अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी पर कार सहित गोलियों व हथियारों की बरामदगी, कार का रंग वही जो चार वर्ष पहले बताया गया अभियुक्तों की निशानदेही पर वस्तुओं की बरामदगी, उन स्थानों की बरामदगी जहां अभियुक्तों द्वारा साजिश रची गई थी, अभियुक्तों और सह-अभियुक्त नसीब सिंह के बीच तारीख के दौरान, पहले और बाद में घंटों तक लंबी बातचीत। घटना (आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्त ने पूछताछ में घटना से पहले एवं बाद में फोन पर हुई बातचीत के बारे में नहीं बताया) आदि बातें पूछताछ से स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। और इस प्रकार तथ्य और परिस्थितियाँ बताती हैं कि संपत्ति के कारोबार से संबंधित दुश्मनी के कारण आरोपी ने सह-अभियुक्तों के साथ मृतक की हत्या की योजना बनाई और अन्य आरोपियों रोहितास

और धर्मेंद्र के साथ मृतक को मारने के लिए एक अवैध अनुबंध किया। उन्होंने मृतक की हत्या कर दी और इस काम के लिए ही आरोपीगण सहअभियुक्त नसीब सिंह को मृतक के घर ले गए। जिस व्यक्ति को उनके द्वारा मारा जाना है, उससे परिचित करा सके। आरोपी और सह-अभियुक्तों के बीच घटना से पहले और बाद में लंबी बातचीत हुई थी और इस तथ्य का खुलासा उनके द्वारा पहले की पूछताछ में नहीं किया गया था, जो स्पष्ट रूप से अपराध में आरोपी की संलिप्तता को दर्शाता है।"

4. जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश से जमानत दे दी जिस पर मुखबिर द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दो अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का विश्लेषण करने पर जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने बिना कोई कारण बताए जमानत दे दी। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जयपुर के तर्कसंगत आदेशों के बावजूद जमानत क्यों दी गई।

5. जवाब में, अभियुक्त के वकील ने कहा कि शुरू में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन बाद में, अदालत से अनुमति लेने के बाद नए सिरे से विचार किया गया। आरोपी व्यक्ति सात महीने से अधिक समय तक हिरासत में थे। सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद एकल न्यायाधीश ने जमानत की प्रार्थना स्वीकार कर ली है।

6. उच्च न्यायालय के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"इस स्तर पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर चर्चा करना वांछनीय नहीं है। हालांकि, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं आवेदक को धारा 439 सी आर पी सी के अंतर्गत जमानत पर रिहा करना उचित मानता हूं। समर्थन में [2005] 2 एससीसी 13 का हवाला दिया जाता है।"

7. इस समय, उमर उस्मान चमड़िया बनाम अब्दुल और अन्य में इस न्यायालय के एक निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा। जेटी (2004) 2 एससी 176 पैरा 10 में, इसे इस प्रकार देखा गया:

> "हालांकि, निष्कर्ष निकालने से पहले, हमें इस मामले के दूसरे पहलू पर ध्यान देना चाहिए, जिसने हमारे लिए कुछ चिंता पैदा की है। हाल के दिनों में, हमारे पास कई बार यह देखने का मौका था कि उच्च न्यायालयों ने आपराधिक कार्यवाही में वकील द्वारा

दिखाई गई रियायतों को दर्ज किया है। उन आदेशों में भी कोई कारण बताने से बचें, जिनके द्वारा निचली अदालतों के आदेशों को उलट दिया जाता है। हमारी राय में, यह उचित नहीं है यदि ऐसे आदेश अपील योग्य हैं, चाहे वह पार्टियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिखाई गई रियायत के आधार पर हो या इस आधार पर कि विस्तृत कारण बताने से भविष्य के परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है निचली अदालतें. उच्च न्यायालय को, जब तक कि बहुत अच्छे कारण न हों, उन आधारों को इंगित करने से बचना नहीं चाहिए जिन पर उनके आदेश आधारित हैं क्योंकि जब मामलों को अपील में लाया जाता है, तो अपील की अदालत के पास यह जानने का हर कारण होता है कि विवादित आदेश किस आधार पर दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि निचली अदालत के आदेश से सहमत होते समय, उक्त अपीलीय अदालत के लिए कारण बताना आवश्यक न हो, लेकिन निचली अदालतों के ऐसे आदेशों को उलटते समय ऐसा नहीं है। उक्त अदालत के लिए आधार या आधार बताए बिना आदेश पारित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन ऐसे विवादित आदेशों की शुद्धता पर विचार करते समय अपील अदालत के लिए यह निश्चित रूप से सुविधाजनक नहीं है। कारणों को बहुत विस्तृत या विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा न हो कि इससे पार्टियों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन विवादित आदेश को पारित करने के लिए तर्क की प्रक्रिया का पर्याप्त संकेत होना चाहिए। तर्कसंगत आदेश देने की आवश्यकता कानून की एक आवश्यकता है जिसका अनुपालन सभी अपीलीय आदेशों में किया जाना चाहिए। कुछ इसी तरह की स्थिति में इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी और अन्य एआईआर (1984) एससी 444) के मामले में गैर-बोलने वाले आदेशों की प्रथा की निंदा की है।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

8. इन पहलुओं पर हाल ही में वी.डी. चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2005) 7 स्केल 68 में प्रकाश डाला गया था।।

9. सरसरी तौर पर देखने पर भी उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है। जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय अदालत को साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिए, फिर भी जमानत आवेदन से निपटने वाली अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला है, लेकिन मामले की खूबियों का विस्तृत अन्वेषण आवश्यक नहीं है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है, न कि किसी और सामान्य मामले के रूप में।

10. आदेश में यह बताने की आवश्यकता है कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है, विशेष रूप से जहां एक आरोपी जी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया था। जमानत के आवेदन पर विचार करने वाली अदालतों के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है, वे हैं:

1. दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति;

2. गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका;

3. आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

11. ऐसे कारणों का कोई भी आदेश बी माइंड के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है जैसा कि इस न्यायालय ने राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, [2002] 3 एससीसी 598, पूरन आदि बनाम रामबिलास और अन्य में नोट किया था। आदि [2001] 6 एससीसी 338 और कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अन्य, जेटी (2004) 3 एससी 442 में।

12. उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय द्वारा चमन लाल सी बनाम यूपी राज्य और अन्य, जेटी सी(2004) 6 एससी 540, कमलजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [2005] 7 एससीसी 326, और सीआरएल 2007 की अपील संख्या 543 (2007 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 49 से उत्पन्न) गजानंद अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में उजागर किया गया था।

13. विधि के सुस्थापित सिद्धांत को देखते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश बचाव योग्य नहीं है और उसे रद्द किया जाता है। जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

14. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 अपनी जमानत रद्द होने के कारण तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण कर देगा। उसके हिरासत में आत्मसमर्पण करने के बाद ही जमानत अर्जी पर विचार किया जा सकता है।

15. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

डी.जी. अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीषा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।